

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल -462004

क्रमांक एफ 6-1/2024/एक/9
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30 मई, 2025

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:-राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति- 2025.
संदर्भ:-इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 29 अप्रैल, 2025.

--0--

कृपया संदर्भित ज्ञापन का अवलोकन करने का कष्ट करें। राज्य एवं जिला स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानांतरण नीति द्वारा दिनांक 01 मई, 2025 से दिनांक 30 मई, 2025 तक की अवधि के लिये स्थानांतरण पर प्रतिबंध शिथिल किया गया है। उपर्युक्त विषय एवं संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि शासन द्वारा स्थानांतरण में शिथिलता की अवधि दिनांक 10.06.2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

2/ राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत स्थानांतरण पर प्रतिबंध से छूट की अवधि को दिनांक 10 जून, 2025 तक बढ़ाया जाता है।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार,

 30.5.2025

(दिलीप कुमार कापसे)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ. क्रमांक एफ 6-1/2024/एक/9 भोपाल, दिनांक 30 मई, 2025

प्रतिलिपि:-

- 1.राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, भोपाल।
- 2.अध्यक्ष, राजस्व मंडल, म.प्र. ग्वालियर।
- 3.प्रमुख सचिव, म.प्र. विधानसभा सचिवालय, भोपाल।
- 4.रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर।
5. सचिव, लोकायुक्त,म.प्र. भोपाल।
6. सचिव, म.प्र. लोक सेवा आयोग, म.प्र. इंदौर।
7. विशेष सहायक/निज सचिव, मुख्यमंत्री/मंत्री म.प्र. शासन।
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म.प्र. भोपाल।
- 9.सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग, म.प्र. भोपाल।
- 10.महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता/अधिवक्ता,म.प्र.जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
- 11.महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
- 12.अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल म.प्र. भोपाल।
- 13.प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
14. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
- 15.प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल।
- 16.आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
- 17.अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी,म.प्र. भोपाल।

- 18.अवर सचिव, सा.प्र.विभाग(7-1) की ओर वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 19.अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
- 20.अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



(दिलीप कुमार कापसे)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग